

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत  
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी  
श्रीमती भारती पेंडारकर अति० महाप्रबंधक (मा.सं.) छ०स्टे०पॉ०हो०कं०लिमि०, रायपुर  
दूरभाष क्रं. -0771-2574040

अपील प्रकरण क्रमांक

श्री जयगोपाल सोनी

फ्लैट नंबर- 5274

विजया गार्डन्स, बारीडीह

जमशेदपुर- 831017

विरुद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या

जन सूचना अधिकारी

सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो

छ०रा०वि०हो०कं०मर्या०,

डंगनिया-रायपुर

O/o CE (ITC)
Receipt No. 6206
Date 21 DEC 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE. web
Section

15/2016 दिनांक 27.10.2016

अपीलार्थी

21/12 21/12

प्रतिअपीलार्थी

--: आदेश :-

(दिनांक 13.12.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 15/2016 दिनांक 27.10.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से जो जानकारी अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को उपलब्ध करायी गई है उसके संबंध में अपीलार्थी का प्रमुख तर्क निम्नानुसार है:-

(अ) अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूर्व आवेदन दिनांक 02.11.2015 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन एवं विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, में लंबित एवं निराकृत मामलों की सूची, मामलों में पैरवी करने हेतु नियुक्त/अधिकृत/अनुबंधित अधिवक्ताओं की जानकारी जैसे पैरवी करने या अन्य कार्यवाही करने हेतु कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र/आदेश/अनुबंध/वकालत नामा की प्रति, अभी तक किए गए भुगतान एवं भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन आदेश पत्र की प्रति चाही गई थी।

(ब) जिसके तारतम्य में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से 21 पृष्ठों की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी गई है, वह अधूरी है, एवं आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात् शुल्क के भुगतान पर प्रदान की गई है, जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतएव प्रार्थी का प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01-02/अ.अ./71-72/दिनांक 11.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 24.11.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी -11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत

✓

हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को भी उनके द्वारा प्रदत्त तै  
र स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में  
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया, साथ ही अपीलार्थी को उ  
द्वारा दिये गये ई-मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई है। उक्त नियत तिथि  
में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, श्री मौर्या, सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह एवं  
संबंधित प्रभाग से श्री पी.एस.परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित तथा अपीलार्थी श्री जयगोपाल  
सोनी अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप अपील प्रकरण पर सुनवाई नहीं की जा सकी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क रू  
बाबत न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 09.12.  
2016 को कक्ष क्रमांक जी-11 में नियत की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को  
पत्र क्रमांक 74-75 दिनांक 26.11.2016 के माध्यम से दी गई। साथ ही अपीलार्थी को उनके द्वारा  
दिये गये ई-मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई। निर्धारित तिथि में  
प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, एवं संबंधित प्रभाग से श्री परिहार, सहायक प्रबंधक (विधि)  
उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अपीलार्थी श्री सोनी के द्वारा दिनांक 30.11.2016  
को ई-मेल के द्वारा सूचित किया गया कि वह सुनवाई तिथि में उपस्थित होने में असमर्थ है,  
अतएव प्रकरण में उचित निर्णय दिया जाये। यथास्थिति प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही  
संपन्न की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक  
रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री जयगोपाल सोनी का आवेदन  
दिनांकित 02.11.2015 जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.) कार्यालय- मुख्य अभियंता (मा.सं.) छ.  
रा.वि.उत्पा.कं.मर्या, रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा  
(3) के अंतर्गत अंतरित प्रकरण के अंतर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.12.2015 को प्राप्त हुआ है।  
उक्त वांछित जानकारी उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने  
के कारण पत्र क्रमांक 4108 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित  
किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में उपमहाप्रबंधक (विधि), होल्लिंग कंपनी द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र  
क्रमांक 176 दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से 21 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई।  
तदपश्चात् निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के तहत रुपये  
2/-प्रति पृष्ठ की दर से कुल 21 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रुपये 42/-मात्र का  
अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत आवेदक श्री जयगोपाल सोनी को उनके द्वारा  
दिये गये पते पर पत्र क्रमांक 252 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा सूचित किया गया। जिसके ताराम्य  
में आवेदक द्वारा अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रुपये 42/-मात्र का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर  
के द्वारा किया गया। तदपश्चात् आवेदक श्री जयगोपाल सोनी को 21 पृष्ठों की  
जानकारी/दस्तावेज उनके द्वारा प्रदत्त पते पर पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा  
उपलब्ध करायी गई।

उल्लेखनीय है कि उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर से प्राप्त  
जानकारी ही आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध करायी गयी है। जहाँ तक आवेदक का प्रथम  
अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है आवेदक को  
उक्ताशय के संबंध में पूर्व में ही इस कार्यालय के पृथक-पृथक पत्र क्रमांक 1968 दिनांक  
17.06.2016 एवं पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 तथा पत्र क्रमांक 7963 दिनांक 27.  
09.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करायी जा चुकी  
है।

2

उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो तथा संबंधित प्रभाग से श्री पी.एस.परिहार, सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित हुए एवं अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नहीं करायी गई है, जो प्रकरण के अवलोकन से सही परिलक्षित होता है। सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि उपमहाप्रबंधक (विधि) होल्डिंग कंपनी के द्वारा वांछित जानकारी 21 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी, जिसे पूर्णतः आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध कराया गया है। चूंकि उक्त जानकारी (विधि) कार्यालय के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया है अतएव जानकारी अपूर्ण है यह संबंधित प्रभाग ही स्पष्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात् अन्य कोई जानकारी शेष है तो जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्ताशय के संदर्भ में संबंधित प्रभाग से श्री परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) के द्वारा प्रकरण पर पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री सोनी को वांछित जानकारी उपलब्ध करायी गई है किंतु आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए जानकारी अपूर्ण है का उल्लेख प्रथम अपील आवेदन में किया गया है। अतएव उक्त विषयवस्तु का अवलोकन कर शेष जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नहीं करायी गई है। प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा संबंधित प्रभाग (विधि) से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया और जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुआ है उसे पूर्णतः अपीलार्थी श्री सोनी को नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी वही जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा सकता है जो कि उसके पहुंच के अंदर है।

जहाँ तक अपीलार्थी का प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है, उक्ताशय के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका क्रमांक 01 के पैरा क्रमांक 02 में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जैसा कि संबंधित प्रभाग (विधि) जहाँ जानकारी उपलब्ध है उनके द्वारा पूर्णतः जानकारी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विधि प्रभाग द्वारा जानकारी/दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और अपीलार्थी को जानकारी के लिये अकारण भटकना पड़ा, जो सही नहीं है। अतएव भविष्य में सूचना का अधिकार से संबंधित समय-सीमा प्रकरणों पर उचित कार्यवाही कर पूर्ण जानकारी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जहाँ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी वांछित जानकारी पूर्णतः पाने का हकदार है। तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है और संबंधित प्रभाग सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.क.मर्या, रायपुर को सलाह दी जाती है कि वे 07 दिवस के अन्दर प्रकरण का सूक्ष्मता से अवलोकन कर अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जो भी कार्यालय में उपलब्ध है, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करावे, साथ ही प्रतिअपीलार्थी जनसूचना

अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त जानकारी जितने भी छायापृष्ठों में उपलब्ध हो अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को 10 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से निःशुल्क उपलब्ध करावे।

उपरोक्तानुसार प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उल्लेखित पैरा में निर्देशों का पालन समयावधि में करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रथम अपील पंजीयन क्रमांक 15/2016 दिनांक 27.10.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

— सही —  
(श्रीमती भारती पेंढारकर)

अपीलीय अधिकारी  
सह अति० महाप्रबंधक (मा०सं०)  
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574040

क्रमांक 01-02/अपील प्रकरण -15/2016/ 78

रायपुर, दिनांक 13/12/2016


प्रतिलिपि:-

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)-दो, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री जयगोपाल सोनी, फ्लैट नंबर- 5274 विजया गार्डन्स, बारीडीह जमशेदपुर-831017 को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ मुख्य अभियंता (EITC), छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता:-

सचिव,  
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग  
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)  
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,  
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर  
492001, (छ०ग०)  
दूरभाष-0771-4024235,2444151

  
(श्रीमती भारती पेंढारकर)

अपीलीय अधिकारी  
सह अति० महाप्रबंधक (मा०सं०)  
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574040

Regd. Office : 2<sup>nd</sup> Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Danganiya, Raipur - 492013 (C.G.)  
Telephone - 2574700, Fax - 0771-2574157, Website : www.cseb.gov.in, email : hr.csphcl@cseb.gov.in